2018 108247

रिपोर्ट पटवारी व अ.नि.

महोदय जी प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार जमाबंदी सम्वत 2072-2075 मे हरचन्द पिता छोटू कीर ग्रा: सरदारपुरा खातेदार है जबकि प्रार्थी छोटू कीर के गोद गया है अतः हरकचन्द मुतबन्ना छोटू कीर किया जाना सही है। रिपोर्ट आपकी सेवा मे पेश है। क्योंकी प्रार्थी के पहचान पत्र व राशनकार्ड मे हरचन्द पु० श्री रामदयाल कौम है

रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार

31-5-2018

रिपोर्ट पावती जांच व संशोधन स्वीकार योग्य है

तहसीलदार
फूलियाकलाँ, जिला-भीलवाड़ा

राजस्व लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार-2018
आदेश

केस - नरवारिया बांसा दिनांक - 31/5/18

प्र.सं. 287/18

हल्का रिपोर्ट तहसीलदार फुलियाकलां के ग्राम नरवारिया बांसा के जमाबंदी संवत 2072-75 के खाता सं. 947 मे दर्ज हरचन्द के बजाय हरकचन्द दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है।

पालनार्थ तहसीलदार फुलियाकलां को भेजा जावे।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
फूलिया कलाँ, जिला-भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.